

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।

पत्रावली/प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।